# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 160 / 2022 / बाड़मेर**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| मानसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति राजपूत निवासी सणाउ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर | | 1. तनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सणाउ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर<br>2. नीम्बसिंह पुत्र रूपसिंह का.मु.<br>2/1अर्जुनसिंह पुत्र नीम्बसिंह<br>2/2जुगतसिंह पुत्र नीम्बसिंह<br>2/3श्रीमती उगमकंवर पत्नी नीम्बसिंह<br>3. वीरसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी सणाऊ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर<br>4. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार चौहटन |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 135/2012 बअनवान तनसिंह बनाम मानसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री दशरथ गर्ग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्रकुमार चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—02.03.2023**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उतरदाता द्वारा अपनी कृषि जोत खसरा संख्या 528/454 रकबा 06.13 बीघा मौजा डूंगरपुरा तहसील चौहटन में आया हुआ है उसमें आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है और खसरा संख्या 457/334 व 458/334 में जो अपीलांट की खातेदारी के है से नजरी नक्शा स्थान एक्स से वाई है जिसमें बरंग लाल से दर्शाया ए से बी स्थान पर नया रास्ता की मांग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना—पत्र पेश किया गया। हस्तगत प्रार्थना—पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश दिनांक 10.02.2014 को पारित कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 24.10.2018 को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं की गई। प्रार्थी/उतरदाता द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो कृषि भूमि नहीं होकर औद्योगिक किस्म की भूमि है जिसे हस्तगत आवेदन में वर्णित प्रावधानों के तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलाधीन आदेश से जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया उस स्थान पर पूर्व में कभी भी रास्ता नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की मातहत अदालत द्वारा पूर्ण पालना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सी पी सी पर बहस करते हुए बताया कि पूर्व अपील में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन को पक्षकार बनाया गया था इसलिए इस अपील में पक्षकार बनाना आवश्यक है। ऐसी दशा में किसी अधिवक्ता को मौका कमिश्नर नियुक्त कर तहसीलदार चौहटन की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित है जिससे मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस द्वारा पेश आवेदन का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सी पी सी पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात निस्तारण किया गया है। हस्तगत प्रकरण में किसी अधिवक्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सी पी सी खारिज किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उसके उपरांत भी हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस / प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट / प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 135 / 2012 बअनवान तनसिंह बनाम मानसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.09.2022 को यथावत रखा जाता है।

(मनीषा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर